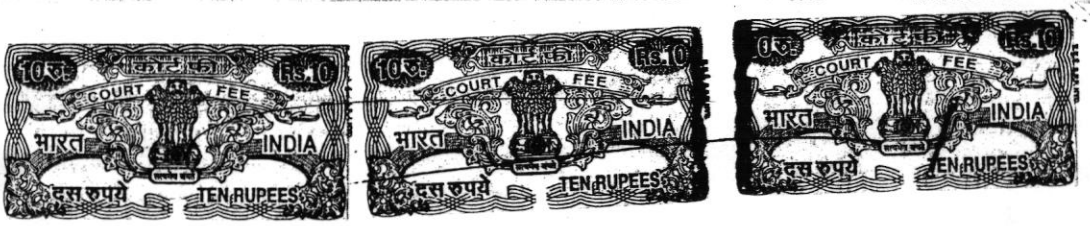

<u>माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर</u>

2

प्रकरण क्रमांक / 18 निगरानी

निगरानी - 5711/2018/उज्जैन/भू.अ.18

1— भारतसिंह पिता मानसिंह पंवार, जाति — राजपूत आयु — 50 वर्ष, धंधा — कृषि, निवासी — ग्राम ताजपुर, तहसील व जिला उज्जैन

2— ईश्वरसिंह पिता मानसिंह पंवार, जाति — राजपूत आयु — 50 वर्ष, धंधा — कृषि, निवासी — ग्राम पालखंदा तहसील व जिला उज्जैन

3— पुष्पेन्द्रसिंह पिता श्री रामसिंह झाला, जाति — राजपूत आयु — 52 वर्ष, धंधा — कृषि, निवासी — ग्राम कचनारिया, तहसील व जिला उज्जैन

....................प्रार्थीगण

श्री .... द्वारा आज दि. 19.9.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25-9-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 19/9/18

<u>विरूद्ध</u>

1— रूगनाथसिंह दत्तक पुत्र माधोसिंह जनक पिता जटालसिंह, जाति — राजपूत, आयु — 65 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी — ग्राम बोडानी तहसील व जिला उज्जैन

2— रणजीतसिंह पिता रूगनाथसिंह, जाति — राजपूत, आयु — 45 वर्ष, धंधा — कृषि, निवासी — ग्राम बोडानी तहसील व जिला उज्जैन

3— राजेन्द्रसिंह पिता रूगनाथसिंह, जाति — राजपूत, आयु — 40 वर्ष, धंधा — कृषि, निवासी — ग्राम बोडानी तहसील व जिला उज्जैन

4— श्रीमती मंजुबाई पति नारायणसिंह पंवार, जाति — राजपूत, आयु — 34 वर्ष, धंधा — कृषि, निवासी — ग्राम बोडानी तहसील व जिला उज्जैन

................प्रतिप्रार्थीगण

19/9/18

विषय — न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 1335/अपील/17—18 में पारित आदेश दिनांक 30—08—2018, जिसके द्वारा प्रार्थीगण का स्थगन आवेदन—पत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्ध धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण द्वारा निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :—

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5711/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/09/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्र. 1335/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2018 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है। आवेदक अधिवक्ता के द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। चूंकि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण को ग्राह्य किया जाकर अभिलेख बुलाने के आदेश दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य प्रकरण में नहीं है। जहां तक स्थगन का प्रश्न है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात न्यायहित में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.08.2018 का क्रियान्वयन अपर आयुक्त द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील का आदेश पारित किए जाने अथवा तीन माह जो भी पहले हो तक स्थगित किया जाता है। अपर आयुक्त को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उभयपक्ष को सुनकर यथाशीघ्र प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	